



उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN

पो.ऑ. चन्दनवाड़ी, सुद्धोवाला, देहरादून - 248007, उत्तराखण्ड

P.O. Chandanwari, Sudhowala, Dehradun - 248007, U.K.

Website: www.uktech.ac.in, Tel.: 0135-2770126, 127, 128 Fax: 0135-2770124, 130

पत्रांक/Ref. No. 28386 अस्थाई सम्बद्धता/2016-17

दिनांक/Date 21/10/2016

सेवा में,

उप सचिव,

मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल,

राजभवन सचिवालय, उत्तराखण्ड,

देहरादून।

विषय: 'ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर मालसी डियर पार्क, पोस्ट-सिनोला, देहरादून' को शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु B.Pharma, M.Pharma (Pharmaceutics) तथा M.Pharma (Quality Assurance) पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर निवेदन है कि 'ज्ञानी इन्दर सिंह ह्यूमन डेवलेपमेंट एण्ड एजुकेशन सोसाइटी' द्वारा 'ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर मालसी डियर पार्क, पोस्ट-सिनोला, देहरादून' नामक संस्थान संचालित है। उक्त संस्थान द्वारा शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु विषयांकित फार्मसी पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया है।

'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' द्वारा अपने पत्रांक-Northern/1-2812806423/2016/EOA, Dated 05th April, 2016 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त संस्थान को निम्नवत् मान्यता प्रदान की गयी है :-

Program	Shift	Level	Course	Full/Part Time	Intake in 2015-16	Intake Approved for 2016-17
Pharmacy	1 st	PG	Pharmaceutics	Full Time	18	18
Pharmacy	1 st	PG	Quality Assurance	Full Time	18	18
Pharmacy	1 st	UG	Pharmacy	Full Time	60	60

6 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' से प्राप्त मान्यता के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम-2009, विश्वविद्यालय अधिनियम-1956 की धारा-26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) और (छ) के प्रस्तर सं0-4.6 में संस्थानों के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण हेतु निरीक्षण कराये जाने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन कर संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने हेतु संस्थान का निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो मूल रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय को प्राप्त निरीक्षण आख्या में निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान को शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु उपरोक्त फार्मसी पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की संसुति की गयी है।

क्रमशः.....02

Handwritten notes:
28/10/2016
9760207498

(02)

निरीक्षण समिति द्वारा उक्त संस्थान में नियुक्त फ़ैकल्टी का भी अनुमोदन किया गया है, जिसका अनुमोदन प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की निरीक्षण आख्या, फ़ैकल्टी अनुमोदन प्रमाण-पत्र, एन्टी रैगिंग प्रमाण-पत्र तथा संस्थान से सम्बन्धित वांछित अन्य अभिलेखों की प्रतियां प्रस्ताव के साथ संलग्न कर राजभवन सचिवालय एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जा रही हैं।

उक्त संस्थान के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव राजभवन सचिवालय के आदेश पत्र सं०- 5355/ जी०एस०/शिक्षा/ए०-135/2016, दिनांक 18 मार्च, 2016 के अनुपालन में मा० कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त राजभवन सचिवालय एवं तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अग्रसारित किया जा रहा है।


अतः अनुरोध है कि कृपया 'ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड, नियर मालसी डियर पार्क, पोस्ट-सिनोला, देहरादून' को एआईसीटीई के मान्यता-पत्र तथा विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु उपरोक्त फार्मसी पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख अंकित सीटों के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

कृते कुलसचिव।

प्रतिलिपि:- उप सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



कृते कुलसचिव।

Deputy Registrar
Jitarakhand Technical University
shradun



संख्या- / जी०एस० / शिक्षा / A4-109 / 2016

प्रेषक,

अरुण कुमार ढौंडियाल,
विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 26 अप्रैल, 2016

महोदय,

कृपया आपके क्रमशः पत्रांक-8549 दिनांक 02-05-2011, पत्रांक-18070 दिनांक 30-07-2013, पत्रांक-22284 दिनांक 15-11-2014 व पत्रांक-24160 दिनांक 13-07-2015 एवं तत्क्रम में शासन की पत्रावली क्रमशः सं०-98/10 (1305/XLI-1/11), सं०-71/13 (1073/XLI-2/13), सं०-72/15 (611/XLI-1/15) एवं सं०-110/15 (781/XLI-1/15) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय-5 की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गई है:-

क्र	संस्थान	पाठ्यक्रम	प्रवेश क्षमता(सीटें)/अवधि		
			सत्र 2010-11, 2011-12, 2012-13	सत्र 2013-14	सत्र 2014-15, 2015-16
1	2	3	4	5	6
1	ज्ञानी इन्द्र सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मसूरी डायवर्जन रोड़, नियर-मालसी डियर पार्क, पो०-सिनोला, देहरादून।	बी०फार्मेसी	60	60	60
		एम०फार्मा०:-			
		फार्मास्यूटिक्स	---	---	18
		क्वालिटी एस्सुरेंस	---	18	18

- संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- संस्थान द्वारा नियुक्त फ़ैकल्टी स्टाफ़ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान के कैंम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

LSM

7. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कमियां परिलक्षित होने पर निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ फ़ैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
10. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
11. संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रास बैंक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।
12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
13. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
14. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं संबंधित विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)

विशेष कार्याधिकारी एवं सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या-352(1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-109/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
4. तकनीकी शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)

उप सचिव, श्री राज्यपाल।

pm